न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या – 145/2018

निर्णय दिनांक– 05.12.2018

उनवान

1.रामदयाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)

वादी

बनाम

1.मांगीलाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.कन्हैयालाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3.रामजस पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4.जगदीश पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
6.बैंक आफ बडोदा शाखा नगरफोर्ट जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण।

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती

उपस्थित– 1. श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी
2. श्री श्रीराम गोयल वकील प्रतिवादी न0 1 ता 4

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 4 के पूर्वजों के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 50 आराजी ख0न0 63 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 101/274 रकबा 1.65, ख0न0 295/275 रकबा 0.35 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 , खाता संख्या 57 आराजी ख0न0 94 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण का सजरा निम्न प्रकार है–

ईशरलाल

1.भंवरलाल 2.कन्हैयालाल 3.रामदयाल 4. रामजस 5. जगदीश

वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 4 की पुश्तैनी आराजीयात है तथा उक्त भूमि के अलावा वादी व प्रतिवादीगण के पुश्तैनी आराजीयात अन्य भी है तथा वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी न0 1 के हिस्से मे आई है, जिसमे 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी न0 1 का है। प्रतिवादी न0 2 ता 4 का उक्त आराजी से कोई लेना देना या सम्बन्ध नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजीयात गलत व विधि विरूद्व रूप से मात्र प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजीया तमे 1/2 हिस्सा वादी का है जिस पर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त करता आ रहा है। वादग्रस्त आराजीयात मात्र प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे दर्ज हो जाने के कारण वह वादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे मजाहेमत बेजा करने लगा है। इस कारण यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर डिक्री फरमाया जावें। आराजी खाता संख्या 50 आराजी ख0न0 63 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 101/274 रकबा 1.65, ख0न0 295/275 रकबा 0.35 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 , खाता संख्या 57 आराजी ख0न0 94 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक मे वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया ।

प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 03.12.2018 को उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा व राजीनामा पेश किया गया । वादी के द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी.डब्लू. 1 रामदयाल, पी. डब्लू. 2 मांगीलाल, पी.डब्लू. 3 कन्हैयालाल, पी.डब्लू. 4 रामजस, पी.डब्लू. 5 जगदीश, पी.डब्लू. 6 बद्री, पी.डब्लू. 7 देवलाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम रघुनाथपुरा प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम रघुनाथपुरा प्रदर्श 2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 पेश किये है।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गयी। बहस पर गोर किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल, जमाबन्दी सम्वत् 2072–74 वाके ग्राम रूघनाथपुरा प्रदर्श 1 खाता संख्या 50 आराजी ख0न0 63 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 101/274 रकबा 1.65, ख0न0 295/275 रकबा 0.35 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 मांगीलाल पुत्र ईशरलाल जाति गुजर सा0 देह खतेदार राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा नगरफोर्ट दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम रूघनाथपुरा प्रदर्श 2 मे खाता संख्या 57 आराजी ख0न0 94 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में मांगीलाल पुत्र ईशरलाल जाति गुजर सा0 देह खतेदार राहिन बैंक आफ बडोदा शाखा नगरफोर्ट दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई है तथा उनके द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया है तथा स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीयात मे वाादी व प्रतिवादी न0 1 का 1/2, 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। गवाहान पी.डब्लू. 6 बद्री, पी.डब्लू. 7 देवलाल ने भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजीया तमे मौके पर 1/2 हिस्से पर वादी व प्रतिवादी न0 1 काबिज काश्त है। प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने उक्त वर्णित आराजी मे से 1/2 हिस्से की भूमि को अपने भाई वादी के नाम खातेदारी मे लगाये जाने मे कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की हैं। मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.रामदयाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
वादी

बनाम

1.मांगीलाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.कन्हैयालाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3.रामजस पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4.जगदीश पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
6.बैंक आफ बडोदा शाखा नगरफोर्ट जरिये शाखा प्रबन्धक
प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :– 145 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री श्रीराम गोयल वकील प्रतिवादी न0 1 ता 4 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 50 आराजी ख0न0 63 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 101/274 रकबा 1.65, ख0न0 295/275 रकबा 0.35 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 , खाता संख्या 57 आराजी ख0न0 94 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा मे वादी को प्रतिवादी न0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.रामदयाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
वादी

बनाम

1.मांगीलाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
2.कन्हैयालाल पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
3.रामजस पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
4.जगदीश पुत्र इशरलाल जाति गुर्जर निवासी रूघनाथपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक(राज0)
5.तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
6.बैंक आफ बडोदा शाखा नगरफोर्ट जरिये शाखा प्रबन्धक

प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा,दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर :— 145 वर्ष 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री बेणीप्रसाद मीणा वकील वादी मिनजानिब मुद्दइ व श्री श्रीराम गोयल वकील प्रतिवादी न0 1 ता 4 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 50 आराजी ख0न0 63 रकबा 0.18, खसरा नम्बर 101/274 रकबा 1.65, ख0न0 295/275 रकबा 0.35 कुल किता 3 कुल रकबा 2.18 है0 , खाता संख्या 57 आराजी ख0न0 94 रकबा 1.59, खसरा नम्बर 101 रकबा 1.00 कुल किता 2 कुल रकबा 2.59 है0 वाके ग्राम रूघनाथपुरा तहसील उनियारा मे वादी को प्रतिवादी न0 1 के साथ बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अकंन किये जाने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 12 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner